रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032026-270761
CG-DL-E-09032026-270761

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947
No. 46] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच शुरूआत

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2026

मामला सं. एडी (एए)-1/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "ग्लुफोसिनेट और उसके साल्ट्स" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलन-रोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/02/2026-डीजीटीआर:—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कार्पोरेशन, यूनाइटेड फासफोरस (इंडिया) एलएलपी और यूपीएल सस्टेनेबल एग्री साल्यूशन लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लूफोसिनेट और उसके साल्ट्स' (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाया है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(1बी) और नियमों के नियम 29(2) के अनुसार, यदि कोई वस्तु जिस पर डंपिंग-विरोधी शुल्क लागू है, भारत में ऐसे मूल्य पर या ऐसी स्थिति में आयात की जाती है जिससे मौजूदा डंपिंग-विरोधी शुल्क का अवशोषण हो जाता है या हो सकता है, तो नामित प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद, डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, शुल्क के स्वरूप या आधार और/या डंपिंग-विरोधी शुल्क की मात्रा या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग या किसी अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा या उनकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य सहित किए गए आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के अवशोषण के कारण मौजूदा डंपिंग-विरोधी शुल्क अप्रभावी हो गया है या हो सकता है।

3. घरेलू उद्योग ने नियम 31 (1) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है और नियम 30(5) के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा का परिणाम आने तक आयातों के अनंतिम आकलन का भी अनुरोध किया है।

क. पृष्ठभूमि

4. व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपने अंतिम जाँच परिणाम संख्या 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से चीन जन. गण. से आयातित ग्लुफोसिनेट और उसके साल्ट्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	एचएस कोड	उत्पादक	राशि
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999	कोई उत्पादक	2998 डा./एमटी

5. वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मई 2025 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाए गए। पाटनरोधी शुल्क डीजीटीआर द्वारा अधिसूचित एचएस कोडों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के आयातों पर लगाए गए हैं तथा टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने उपायों का विस्तार अतिरिक्त एचएस कोडों तक भी किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

6. प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में अंतिम जाँच परिणाम सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद का दायरा, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, निम्नानुसार है:

*"18. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा **ग्लुफोसिनेट तथा उसके साल्ट्स, तकनीकी एवं फॉर्म्युलेशन दोनों रूप में,** है।"*

7. ग्लुफोसिनेट एक शाकनाशी है, जो विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने में अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। ग्लुफोसिनेट का सक्रिय घटक पौधों की कुछ आवश्यक अमीनो अम्लों के उत्पादन की क्षमता को बाधित करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है और अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसकी कार्यप्रणाली इसे प्रतिरोधी खरपतवारों के प्रबंधन तथा सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में विशेष रूप से उपयोगी बनाती है। यह एक फॉस्फिनिक अम्ल है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस रासायनिक समूह से संबंधित है और अन्य किसी भी शाकनाशी रासायनिक वर्ग से भिन्न है।

8. विचाराधीन उत्पाद का कोई पृथक वर्गीकरण नहीं है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 तथा 38089999 कोडों पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ग. समान वस्तु

9. प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानकों के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों को तकनीकी एवं वाणिज्यिक रुप से प्रतिस्थापनीय पाया गया है। अतः

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. **आवेदक**

10. यह आवेदन सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, एरिस्टा लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी, यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसडब्ल्यूएएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल आवेदक ही ग्लूफोसिनैट टेक्निकल का उत्पादन कर रहे हैं और भारत में ग्लूफोसिनैट टेक्निकल का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। भारत में अन्य कंपनियां टेक्निकल का आयात कर रही हैं और इसे फॉर्मूलेशन में परिवर्तित कर रही हैं, और इन उत्पादकों को मूल जांच में घरेलू उद्योग नहीं माना गया था। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की श्रेणी में आते हैं, और आवेदन नियम 29 के अनुसार दायर किया गया है।

ड़. **समीक्षा का दायरा**

11. वर्तमान समीक्षा चीन से आयातित संबंधित उत्पाद के सभी मामलों के संबंध में है। यह देखा गया है कि मूल जांच में, भाग लेने वाले उत्पादक के लिए व्यक्तिगत शुल्क की गणना नहीं की गई थी क्योंकि प्राधिकरण ने इसे अपर्याप्त पाया था। इसके अलावा, समीक्षा का दायरा इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या डंपिंग-रोधी शुल्क के स्वरूप या उसकी मात्रा, या दोनों में संशोधन की आवश्यकता है।

च. **समामेलन पुनः जांच के आधार**

12. आवेदकों ने दावा किया है कि वर्तमान समामेलन जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। आवेदकों ने बताया है कि लागू न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) के कारण भारत में आयात कीमत उस कीमत को प्रतिबिंबित नहीं करती है जिस पर उत्पाद चीन से निर्यात किया गया है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि न्यूनतम आयात कीमत लागू होने के कारण कुछ आयात भारत में कहीं अधिक कीमत पर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि कुछ आयात कम कीमतों पर हुए हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक न केवल भारत बल्कि अन्य देशों को भी अत्यंत कम कीमतों पर उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। अपने दावे के समर्थन में आवेदकों ने चीन से अन्य देशों को किए गए निर्यात की जानकारी प्रस्तुत की है। अतः आवेदकों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 29 के अनुसार प्राधिकारी को यह जांच करनी आवश्यक है कि क्या वस्तु की निर्यात कीमत कम हुई है, और इसलिए वस्तु की निर्यात कीमत में हुए परिवर्तनों की तुलना की जानी चाहिए।

13. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह पता चलता है कि चीन से निर्यात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह भी देखा गया है कि यद्यपि कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी आई है, तथापि निर्यात कीमत में कमी उससे कहीं अधिक है।

14. आवेदकों ने पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाने वाली प्रथम दृष्टया जानकारी भी प्रस्तुत की है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि उत्पादन लागत में समुचित कमी के बिना निर्यात कीमत में गिरावट हुई है, जिससे पाटनरोधी शुल्क का समामेलन तथा उसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

छ. **समामेलन अवधि**

15. आवेदकों ने जनवरी 2025 से सितंबर 2025 (9 माह की अवधि) को प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित अवधि को उपयुक्त माना गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि इस अवधि की कीमत की तुलना 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की निर्यात कीमतों से की जाए, जो मूल जांच की जांच अवधि है।

16. लागू कार्यढांचे की जांच करने पर यह पाया गया कि समामेलन-रोधी समीक्षा के लिए 12 माह की अनिवार्य जांच अवधि निर्धारित करने की कोई बाध्यता नहीं है। अवधि का निर्धारण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। तदनुसार, प्रस्तावित 9 माह की अवधि को वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त माना गया है।

ज. समामेलन-रोधी समीक्षा की शुरुआत

17. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रुप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के उपरांत, प्राधिकारी, एतद्वारा, अधिनियम की धारा 9क(1ख) तथा नियमावली के नियम 30 के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि या स्वरूप या दोनों में संशोधन की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ समामेलन-रोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

18. आवेदकों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार को यह अनुशंसा करे कि नियमों के नियम 31(3) के अनुसार जांच शुरू होने की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से पाटनरोधी शुल्क के प्रारूप में संशोधन किया जाए। इच्छुक पक्ष इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

19. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 30(5) के अनुसार इस समीक्षा के पूर्ण होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम आकलन की भी सिफारिश करते हैं।

झ. प्रक्रिया

20. वर्तमान समीक्षा जांच का दायरा केवल इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत कम हुई है और क्या यह गिरावट कच्ची सामग्री में संगत गिरावट के कारण हुई है। वर्तमान समीक्षा जांच में नियमावली के नियम 29, 30 और 31 में यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान यथावश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी- एडी/एबीएस/001/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जाँच शुरूआत अधिसूचना और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी- एडी/एबीएस/001/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जॉंच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

28. समय बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफ 25 में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्ष्ाकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्ष्ाकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्ष्ाकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता

सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्ाकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जॉंच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉंच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

<u>INITIATION</u>

New Delhi, the 2nd March, 2026

Case No. – AD (AA) – 01/2026

Subject: Anti-absorption investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of 'Glufosinate and its salts' originating in or exported from China PR.

F. No. 7/02/2026-DGTR – 1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or the "Anti-Dumping Rules"), Superform Chemistries Limited,UPL Limited, Astral Life India Limited, Swal Corporation Limited, United Phosphorus (India) LLP and UPL Sustainable Agri Solution Limited (hereinafter referred to as "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") alleging absorption of anti-dumping duty imposed on imports of Glufosinate and its salts (hereinafter referred to as "product under consideration" or "subject goods") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "subject country").

2. In terms of Section 9A(1B) of the Act and Rule 29 (2) of the Rules, where an article subject to anti-dumping duty is imported into India at such price or under such condition which is considered as absorption of existing anti-dumping duty, which is thereby or may be rendered ineffective, the Designated Authority may, after conducting review, recommend modification in the form or basis of the duty and/or the quantum of anti-dumping duty or both after reassessing the dumping margin and injury margin. In accordance with the same, the Authority is required to review, based on an application with sufficient evidence, made by or on behalf of the domestic industry or any other interested party as to whether the existing anti-dumping duty is thereby or may be rendered ineffective because of absorption of duty.

3. The domestic industry has requested imposition of revised duty with retrospective effect in accordance with provisions of rule 31(1) and has also requested provisional assessment of imports pending outcome of review in accordance with provisions of rule 30(5).

A. <u>Background</u>

4. The Directorate General of Trade Remedies vide final finding no. 6/19/2024-DGTR dated 10th February 2025 recommended imposition of anti-dumping duties on the imports of Glufosinate and its salt from China PR. The anti-dumping duties imposed are given below: -

S.N.	HS code	Producer	Amount
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 and 38089999	Any producer	2998 $/MT

5. The anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 09/2025-Customs (ADD) dated 8th May 2025. The anti-dumping duties have been imposed on imports of the product falling under HS Codes notified by the DGTR and in view of change in tariff classifications, the Ministry of Finance has extended measures to additional HS codes.

B. Product under consideration.

6. The scope of the product under consideration concluded by the Authority in the original investigation vide Final Finding, F.No. 6/19/2024-DGTR dated 10th February, 2025 and attracting the anti-dumping duties are as below:

> *"18. In view of the above, the Authority concludes that the scope of product under consideration in the present investigation is* ***Glufosinate and its salt, both in technical and formulation form****."*

7. Glufosinate is an herbicide, known for its effectiveness in controlling a broad spectrum of weeds. The active ingredient in Glufosinate disrupts the plant's ability to produce certain essential amino acids, leading to the inhibition of protein synthesis and subsequent plant death. This mode of action makes Glufosinate particularly valuable in managing resistant weed populations and promoting sustainable agriculture practices. It is a phosphinic acid belonging to the organophosphorus chemical family, unlike any other chemical class of herbicides.

8. The product under consideration does not have a dedicated classification. For the purpose of the present investigation, the codes 38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 and 38089999 have been considered. The custom classification code is indicative only and is not binding on the scope of the present investigation.

C. Like article

9. The original investigation revealed that there are no known significant differences in the goods produced by the applicants and those exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The two were found to be technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present review, the subject goods produced by the applicants are being treated as "like article" to the product imported from China.

D. Applicants

10. The present application has been filed by Superform Chemistries Limited , UPL Limited, Arysta Life Sciences India Limited, United Phosphorus (India) LLP, UPL Sustainable Agri Solutions Limited, and SWAL Corporation Limited. It has been submitted that only the applicants are undertaking production of glufosinate technical and there is no other producer of glufosinate technical in India. The other companies in India are importing technical and converting the same into formulation and these producers were not treated as domestic industry in the original investigation. Based on the information on record, it is seen that applicants constitute domestic industry within the Rules. and the application has been filed in accordance with Rule 29.

E. Scope of the review

11. The present review is in respect of all imports of the product under consideration from China. It is seen that in the original investigation, individual duty was not calculated for the participating producer as the Authority had found to be deficient. Further, the scope of the review is restricted to examine if there is a need for modification of the form of the anti-dumping duty or the quantum of anti-dumping duty, or both.

F. Grounds for an absorption reinvestigation

12. The applicants have claimed that the export price of the product under consideration has significantly declined in the present absorption period of investigation as compared to the period of investigation of the original investigation. The applicants have stated that owing to the minimum import price in force, the import price into India is not reflective of the price at which the product has been exported from China. The applicants have also claimed that while some of the subject goods into India have been cleared in India at a much higher price owing to MIP in place, some of the imports are at lower prices. The applicants have also claimed that producers from China PR are exporting the product at such low prices not only to India, but also to other countries. The applicants have provided information on exports from China to other countries in support of their claim. The applicants have therefore requested that Rule 29 of the anti-dumping rules requires the

Authority to examine whether the export price of the article has declined, post imposition of anti dumping duty.

13. The information provided by the applicants shows that the export price from China has declined significantly. It is also seen that while raw material prices have declined, the decline in the export price is much higher.

14. The applicants have also given *prima facie* information showing an increase in the dumping margin and injury margin. The information provided by the applicants, *prima facie*, shows a decline in the export price without a commensurate decline in the cost of production showing absorption of anti-dumping duties, and a consequent increase in the dumping margin and injury margin.

G. Period of absorption

15. The applicants have proposed the period from January 2025 to September 2025 (a period of 9 months). The period proposed has been considered appropriate. The applicants have requested that the prices in this period may be compared with the export price from 1st January 2023 to 31st December 2023 which is the period of investigation of the original investigation.

16. On examination of the applicable framework, it is noted that there is no mandatory requirement prescribing a 12 month POI for an Anti- Absorption review as the determination of the period may be based on the facts and circumstances of the case. Accordingly, the proposed 9 month period is considered appropriate for the present investigation.

H. Initiation of anti-absorption review

17. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicants and having satisfied itself based on the *prima facie* evidence submitted by the applicants concerning absorption of the anti-dumping duties imposed on the imports from China PR, the Authority, hereby, initiates an anti-absorption investigation to determine the existence and effect of absorption of the anti-dumping duty on imports of the product under consideration by the producer/exporter from China PR and to recommend modification of the quantum, or form of the anti-dumping duty,or both in accordance with Section 9A(1B) of the Act and Rule 30 of the Rules.

18. The applicants have requested the Authority to recommend to the Central Government that the form of the anti-dumping duty is required to be modified retrospectively from the date of initiation of the investigation in accordance with Rule 31(3) of the Rules. The interested parties may offer their comments in this regard as per time limit given in this notification.

19. In view of the above, the Authority recommends provisional assessment of all imports of the product under consideration till completion of this review, in accordance with Rule 30(5) of the Rules.

I. Procedure

20. The scope of the present review investigation is limited only to examine if the export price of the product under consideration has declined and whether the decline is due to the corresponding decline in the raw material. The provisions as stipulated under Rules 29, 30 and 31 of the Rules shall be followed in the present review investigation. The provisions of Rule 6 shall apply *mutatis mutandis*.

J. Submission of information

21. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/ABS/001/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

22. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

23. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

25. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal(https://setu.dgtr.gov.in) for any updated

information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. Time limit

26. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID-AD/ABS/001/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

28. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 25 above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission on information on confidential basis

29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

30. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

31. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.

34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

37. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of Public File

38. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. Non-cooperation

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.09 15:58:31 +05'30'